समक्ष:- श्रीमान/सुश्री/श्रीमती वार्डेन

....

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

मैं शपथपूर्वक एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ/देती हूँ

1. यह कि मैं________________________________ पुत्र/पुत्री________________________ विश्वविद्यालय के _________________________________ संस्थान के कक्षा _______________ कोर्स ________________ वर्ष _____________________की छात्र/छात्रा हूँ।
2. यह कि मैं हॉस्टल टाइम-टेबल का सत्यनिष्ठा से अनुपालन करूँगा/ करूंगी।
3. यह कि मैं छात्रावास द्वारा नियत किए गए कक्ष में बिजली के उपकरण (मुख्यतः कुक टॉप, प्रेस, हीटर, टीवी, अलग से पंखा, कूलर इत्यादि) का प्रयोग नहीं करूँगी/करूँगा। यदि चोरी-छुपे इन उपकरणों का प्रयोग करते समय मेरे अथवा किसी और के साथ किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होती है तो इस संबंध में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा।
4. यह कि मैं छात्रावास में विभिन्न ऋतुओं के आधार पर छात्रावास से बाहर व अंदर आने/जानें की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करूँगी/करूँगा। यदि छात्रावास से बाहर रहने के दौरान मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होती/होता हूँ तो इस संबंध में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा।
5. यह कि मैं छात्रावास में संचालित मैस हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत एवं निर्धारित वेशभूषा में मैस में ही बैठकर भोजन ग्रहण करूँगा/करूँगी। मैस का भोजन कभी भी मेरे कमरे में मेरे अथवा किसी और के द्वारा नहीं ले जाया जाएगा। मैं छात्रावास व मेस में किसी भी कर्मचारी एवं छात्रावास बॉर्डन से दुर्व्यवहार नहीं करूँगी एवं अपने किसी विभागीय/ व्यक्तिगत मित्र/ रिश्तेदार आदि को अपने कक्ष में बिना पूर्व अनुमति के नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी।
6. यह कि मैं छात्रावास एवं मैस के मद में देय सभी शुल्कों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा करूँगी/करूंगा। सत्र के मध्य मे छात्रावास शुल्क में यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई वृद्धि की जाती है तो उसकी प्रतिभूति मेरे द्वारा अधिकतम एक माह में देय होगी। उपरोक्त शुल्क समय से नहीं जमा होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक विधिक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
7. यह कि मैं किसी प्रकार के प्रतिबंधित मादक/नशीले पदार्थ/दवाओं का उपयोग एवं विक्रय नहीं करूँगी/करूँगा। मैं किसी भी प्रकार के अनधिकृत बैठक/ धरना/ जुलूस में न शामिल होंगी/होंगा और न ही संचालन करूँगी/करूँगा। मैं विश्वविद्यालय एवं छात्रावास की संपत्ति/परिसंपत्ति का नुकसान नहीं करूंगा/ करूंगी। यदि मेरे द्वारा उक्त के संबंध में अवांछनीय कृत्य कारित होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त नुकसान की भरपाई एवं उचित विधिक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।

8. यह कि मैं छात्रावास नियमावली, जो इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग है, के अन्य नियमों का अक्षरशः पालन करूँगा/ करूँगी। यदि मैं छात्रावास नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने की दोषी पाई जाती/जाता हूँ तो छात्रावास प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय नियमों के तत्वावधान में तत्काल प्रभाव से बिना छात्रावास फीस वापस किए छात्रावास से निष्कासित कर देने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा। उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थदंड मेरे अभिभावक अथवा मेरे द्वारा देय होगा।
9. यह कि छात्रावास व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करने एवं कक्ष परिवर्तन करने पर मेरे अभिभावक अथवा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
10. यह कि मैं छात्रावास में शालीन वस्त्र एवं शालीन भाषा का प्रयोग करूँगी/करूंगा। उपयुक्त अनुदेश के अनुपालन में मेरी किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा निर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई से मेरे अभिभावक अथवा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि मैं विश्वविद्यालय एवं छात्रावास परिसर में होने वाले कार्यक्रम में पूर्णतः योगदान दूंगी/दूंगा। उक्त के संबंध में अथवा आधिकारिक अनुदेश के अनुपालन में ग्रीष्मावकाश/ शीतवाकश की समयावधि शुरू होने से पहले मेरे कोर्स के अंत सिमेस्टर परीक्षा के आखिरी परीक्षा की तारीख के उपरांत दस दिवस के भीतर मेरे द्वारा छात्रावास में नियत किए गए कक्ष को खाली कर दिया जाएगा। तदुपरांत अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
12. यह कि मेरे अभिभावक एवं मेरे पूर्ण रूप से संज्ञान में है कि छात्रावास एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीन एवं अराजक व्यवहार पर दंड के रूप में छात्रावास रजिस्टर में संबंधित छात्र/छात्रा के नाम पर ब्लैक डॉटस अंकित कर दिए जाते हैं। साथ ही छात्र/छात्रा के नाम पर अधिकतम तीन ब्लैक डॉटस अंकित हो जाने पर छात्रावास से निष्कासन का प्रावधान हैं। उक्त नियम के अनुपालन के संबंध में मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।

सत्यापन: मैं शपथकर्ता/ शपथकर्ती सत्यापित करता/ करती हूँ कि इस शपथपत्र में उपरोक्त **1 से 12** तक दिए गए समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में है, सही हैं और उनका मैं अनुपालन करूँगी। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त आज दिनांक______________________________ सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता छात्र /छात्रा के पिता के हस्ताक्षर

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर